न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 46/2021

1. हीरा देवी पुत्री स्व. पप्पू उर्फ पूरण पत्नी श्री किशनलाल सैनी पोत्री स्व. कालूराम सैनी
2. प्रेम देवी पुत्री स्व. पप्पू उर्फ पूरण पत्नी श्यामलाल सैनी पोत्री स्व. कालूराम सैनी
समस्त जाति माली निवासी भोला का भट्टा के पा पास वार्ड नं. 01 मौहल्ला बडाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. कालूराम
2. रामजीलाल पुत्र स्व. कालूराम
समस्त जाति माली निवासी भोला के भट्टे के पास वार्ड नं. 01 मौहल्ला बडाबास कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली
4. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली
5. नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

6. सुभाष पुत्र स्व. पप्पूराम उर्फ पूरण पोत्र स्व. कालू
7. कृष्ण पुत्र स्व. पप्पूराम उर्फ पूरण पोत्र स्व. कालू
8. अशोक पुत्र स्व. पप्पूराम उर्फ पूरण पोत्र स्व. कालू
9. राजेन्द्र पुत्र स्व. पप्पूराम उर्फ पूरण पोत्र स्व. कालू
10. फूली देवी पत्नी स्व. पप्पूराम उर्फ पूरण
समस्त जाति माली निवासी भोला का भट्टा के पास वार्ड नं. 01 मौहल्ला बडाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1245 ग्राम बडाबास दिनांक 21/8/2008 तस्दीक द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली

निर्णय दिनांक 18.11.2021

अपीलान्ट जरिये वकील नामा.सं. 1245 ग्राम बडाबास दिनांक 21/8/2021 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के विरूद्व उक्त नामा. के विरूद्व पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नमांति पेश किये हैं :–

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 283, 284, 285 व 291 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली से हाल ख.नं. 518/1.96, 530/0.21, 531/0.12 व 535/0.66 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली बने हैं। उपरोक्त आराजी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2005 अनुसार अपीलान्टस् तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

01 व 02 की पैत्रिक सम्पत्ति थी। उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति के अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के दादा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता कालूराम पुत्र रामनारायण बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हुये तथा कालूराम की मृत्क के बाद उनके वारिसान् उनके तीन पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 तथा पप्पूराम उर्फ पूरण हुये। पप्पूराम उर्फ पूरण की मृत्यु के बाद उनके फुट स्टेप पर उनके वारिसान् अपीलान्टस् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार काबिज हुये तथा इसी अनुसार मौके पर कालूराम की उपरोक्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज है तथा मौके पर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट के पिता पप्पूराम उर्फ पूरण यानि अपना सगा भाई पप्पूराम की सम्पत्ति को हडप करने के लिए दोनों ने मिलकर एक–एक षडयन्त्र रचा अपने पिता कालूराम जो 70 वर्ष का वृद्व था तथा मानसिक स्थिति खराब थी व सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, जिसका फायउा उठाते हुये पैत्रिक सम्पत्ति को कालूराम से चुपके–चुपके पप्पूराम को बिना बताये पिछे छिपे से अपने नाम सम्पूर्ण आराजी का वसियत दिनांक 15/7/1993 को करवा लिया। उपरोक्त वसियतनामा अपीलान्टस् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 के अधिकारों के प्रति शुरू से ही शून्य व बेअसर है एवं कालूराम की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्टस् एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति को जरिये नामा. 1245 ग्राम बडाबास में बिना अपीलान्टस् व तरतीबी रेस्पोडेन्टस् को सुनवायी का अवसर दिये तहसीलदार कोटपूतली से सवयं के नाम दिनांक 21/8/2008 को दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्टस् गत दिनों अपने पीहर आई तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट 1 व 2 उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान करने के लिए दिखा रहे थे, जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को कहा कि आप भूमि को बंटवार कर बेचान करो तथा हमारा हिस्सा का बंटवारा करो तो रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने कहा कि यह सम्पूर्ण हमारे नाम है आपका व आपके भाईयों का उक्त सम्पत्ति में कोई लेना–देना नहीं है, जिस पर अपीलान्टस् पटवारी हल्का से मिली एवं राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी व नामे की नकल दिनांक 22/9/2021 को प्राप्त की ओर नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर बिना देरी किये उपरोक्त नामा. की श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अपील के जिम्मन नं. 01 में वर्णित आराजी अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 की पैत्रिक सम्पत्ति है एवं अपीलान्टस् को उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति में जन्म से ही पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलान्टस् के दादा कालूराम पुत्र रामनारायण को उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति का वसियतनामा कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं तथाकथित उपरोक्त वसियतनामा अपीलान्टस् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अधिकारों के प्रति शुरू से ही शून्य एवं बेअसर है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति को बिना कोई जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने की भारी भूल की है।
4. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति में कालूराम पुत्र रामनारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम नामा. दर्ज किये जाने से पूर्व कालूराम के पूर्व लिगल वारिसान् अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस् को ना तो सूचना दी गयी तथा ना ही सुनवायी का अवसर दिया अपितु बिना किसी जांच के व बिना किसी विधिक वारिसान् को सूचित किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक उपरोक्त नामा. निरस्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

5. यह है कि उपरोक्त नामा.सं. 1245 की पुस्त पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दुर्गा बनाम कालू में स्टे होना दर्ज कर रखा है तथा हल्का गिरदावर द्वारा अपनी कार्यालय टिप्पणी स्पष्ट रूप से उपरोक्त आराजी भूमि पर स्थगन होना भी अंकित किया है जो स्थगन आदेश आज यथावत है, लेकिन स्टे के आदेश के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति में कालूराम पुत्र रामनारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम नामा. दर्ज कर दिया जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि वसियत सम्बन्धी नामा. को तस्दीक किये जाने से पूर्व मृत्क के सभी विधिक वारिसान् को धारा 135(2) लैण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत् सुनवायी का अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उपरोक्त नामा. कानूनन तस्दीक किया जा सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखी करते हुये उक्त नामा. दर्ज करने की भारी भूल की है।

7. यह है कि अपीलान्टस् के दादा स्व. श्री कालूराम के जीवनकाल में अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार में अपीलान्टस् तथा रेस्पोडेन्डस् संख्या एक व दो व तरतीबी रेस्पोडेन्टस् सहदाचिक (को पार्सनर) थे और स्व. श्री कालूराम को आराजी मुतदाविया को अपीलान्टस् की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को वसीयतनामा करने का तथा उरोक्त विकय–पत्र को निस्पादन करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वसियतनामा शुरू से ही अपीलान्टस के अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं बेअसर है। इसलिए नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 विधि विरूद्व होने के कारण पृथम दृष्टया में निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह है कि उपरोक्त आराजी मुतदाविया वैसियत की गयी भूमि पैत्रिक सम्पत्ति थी ओर स्व. कालूराम की स्वअर्जित (सेल्फ एक्वायर्ड) सम्पत्ति नहीं थी ओर वसियतनामा श्री कालूराम ने दुर्भावना पूर्वक असत्य रूप से कृषि भूमि को खुर्द की पैदा करदा अंकित किया है। ऐसा वसियतनामा शुरू से ही । अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्व शून्य एव बेअसर है। इसलिए नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 विधी विरूद्व होने के कारण शून्य एवं बेअसर है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह है कि सामान्य तौर पर एक पिता द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में निस्पादित पूर्व वर्णित वसियतनामा विश्नसनीय नहीं माने जा सकते क्योंकि पुत्र तो स्वतः ही अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। इस प्रकार उत्ताराधिकार प्रदान करने के लिए न तो किसी वसियतनामा की आवश्यक होती है। ऐसा वसियतनामा शुरू से ही अपीलान्टस् के अधिकारों के विरूद्व एवं शून्य एवं बेअसर है। इसलिए उक्त नामा. 1245 दिनांक 21/8/2008 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने वसियत के सम्बन्ध में कोई प्रोवेट भी हांसिल नहीं की है। इसलिए वसियत प्रभावहीन है। उससे रेस्पोडेन्ट कानूनन कोई फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

11. यह है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 1993 भाग संख्या 38 के कम संख्या 1724 पर कालूराम पुत्र रामनारायण की उम्र 90 वर्ष अंकित है, जबकि वसियतनामा में कालूराम की उम्र 70 वष दिखायी है जो गलत दिखाई है। वास्तव में कालूराम 90 वर्ष का वृद्व व्यक्ति था और कालूराम की मानसिक स्थिती ठीक नहीं थी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने फर्जी तरिके से कालूराम से अपने हक में सम्पूर्ण –सम्पूर्ण आराजी का वसियतनामा करवा लिया । इस प्रकार वसियतनामा को देखने से ही प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि कालूराम किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात् तस्दीक करने की स्थित में नहीं था। अतः नामा काबिले निरस्त है।

अति. जिला कलक्टर,
[illegible] (जयपुर)

12. यह है कि उपरोक्त नामा. की जानकारी अपीलान्टस को जानकारी गत दिनों पिहर आयी तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान करने के लिये दिखा रहे थे, जिस पर अपीन्ट ने रेस्पोडेन्ट को कहा कि आप भूमि का बंटवारा करके बेचान करें तथा हमको हमारा हिस्सा का बंटवारा करों तो रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दोनो ने कहा कि यह सम्पूर्ण हमारे नाम है। आपके एवं आपके भाईयों का उक्त सम्पति से कोई लेना–देना नहीं है, जिस पर अपीलान्टस् पटवारी हल्का से मिली और राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी व नामा. की नकल 22/9/2021 को प्राप्त की ओर नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर बिना देरी किये दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की जा रही है। अपील अन्दर मियाद है।

13. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील सुनने एवं तय करने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को हासिल है तथा अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं 1245 ग्राम बडाबास दिनांक 21/8/2008 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली खारिज की जाकर उपरोक्त आराजी में कालूराम पुत्र रामनारायण के सभी विधिक वारिसान् अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट के नाम हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

14. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रेस्पोडेन्स की तल्बी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रदीप बंसल एडवोकेट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से श्री सुरेश सैनी एडवोकेट उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की बाद तामील सम्मन प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

15. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 283, 284, 285 व 291 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली से हाल खसरा नम्बर 518/1.96, 530/0.27, 531/0.12 व 535/0.66 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली बने हैं। उपरोक्त आराजी मुताबिक साबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2005 के अनुसार अपीलान्टस् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की पैत्रिक सम्पत्ति थी । उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्ति के अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के दादा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पिता कालूराम पुत्र रामनारायण बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हुये तथा कालूराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान उनके तीन पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो तथा पप्पूराम उर्फ पूरण हुये तथा पप्पूराम उर्फ पूरण की मृत्यु के बाद उनके फुट स्टेप पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त हुये इसी अनुसार कालूराम की उपरोक्त आराजी सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज है तथा मोके पर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिलकर षडयन्त्र रचकर अपने पिता कालूराम से चुपके–चुपके अपने भाई पप्पूराम को बिना बताये पप्पूराम के पिठ पिछे से अपने नाम सम्पूर्ण आराजी का वसियतनामा दिनांक 15/7/1993 करवा लिया जो अपीलान्टस एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 के अधिकारों के प्रति शुरू से ही शून्य एवं बेअसर है। कालूराम की मृत्यु के उपरोन्त रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो अपीलान्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट की पैत्रिक सम्पत्ति को बिना सुनवायी का आवसर प्रदान किये तहसीलदार कोटपूतली से नामा.सं. 1245 वाके ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली से रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो दोनों स्वयं के नाम दर्ज करा लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलान्टस् तरतीबी रेस्पोडेन्टस् तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें अपीलान्टस्

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

को जन्म से ही पूर्व अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त पैत्रिक सम्पत्तिको अपीलान्टस् के दादा को वसीयतनामा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने कालूराम पुत्र रामनारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्टस् संख्या एक व दो के नाम नामा. दर्ज करते समय कालूराम के लिगल वारिसान् को ना तो सूचना दी गयी ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर दिया गया। इसलिए उक्त नामा. निरस्त किया जाने योग्य है। वसीयत की गयी भूमि पैत्रिक सम्पत्ति थी। स्व. कालूराम की सैल्फ एक्वायर्ड सम्पत्ति नहीं थी तथा वसियतकर्त्ता कालूराम ने उक्त कृषि भूमि का अपनी खुद की पैदा करदा अंकित किया है, जो पैत्रिक सम्पत्ति थी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने वसियत के सम्बन्ध में कोई प्रोवेट भी हासिल नहीं है। इसलिए भी वसीयत प्रभावहीन है। विधानसभा निर्वाचन नामावली 1993 भाग संख्या 38 के कम संख्या 1724 पर कालूराम पुत्र रामनारायण की उम्र 90 वर्ष अंकित है, जबकि वसीयतनामा में कालूराम की उम्र 70 वर्ष दिखायी गयी है। 90 वर्ष के व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी तथा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी । इसी का फायदा उठाकर रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने फर्जी तरिके से वसियतनामा करा लिया। उक्त वसियतनामा पर किसी व्यक्ति के गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में विचाराधीन मुकदमा 151/2017 सुभाष बनाम बाबूलाल वगैरह में अपीलान्ट पक्षकार भी नहीं है। अपीलान्ट को दिनांक 22/9/2021 को नकल निकलवाने पर उक्त नामा. की जानकारी हुयी है देरी बाबत मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र दफा–5 संलग्न अपील किया है। अतः उक्त नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 खारिज किया जावें तथा कालूराम पुत्र रामनारायण के सभी विधिक वारिसान् के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील अपीलान्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 16–17 पेज संख्या 134 प्रस्तुत किया है।

16. वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गयी। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार वैसीयतनामा के आधार पर नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 स्वीकार किया है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां एक वाद संख्या 151/2017 सुभाष बनाम बाबूलाल वगैरह घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती का विचाराधीन है, जिसमें खातेदारी अधिकार तय होने है। नामा. एक फिसकल प्रोसिडिंग है। कालूराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम वसियतनामा कराया है जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा को महज नियत् समय अवधि में केवल दीवानी न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। कानूनी प्रावधानों के तहत् रजिस्टर्ड वसीयतनामा हो वहां विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है जब तक उक्त वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जायेगा तब तक अपील पोषनीय नहीं है। उक्त नामा. की जानकारी अपीलान्ट को सहायक कलक्टर में दावा दायर करने से पूर्व ही थी । उक्त मुकदमा संख्या 151/2017 में तरतीबी रेस्पोडेन्ट वादीगण रहे हैं। उक्त अपील अपीलान्टस् द्वारा मियाद बहार अपील पेश की है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने समर्थन में RRT 2020(1) प्रेम कुमार बनाम श्यामलाल पेज संख्या 275 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

17. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण् सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया। अवलोकन करने एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि उक्त नामा.सं. 1245 वाके ग्राम बडाबास स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 21/8/2008 को स्वीकार होना पाया गया। ग्राम बडाबास के आराजी ख.नं. 518, 530, 531 व 535 राजस्व रिकॉर्ड में कालू पुत्र रामनारायण माली के नाम दर्ज थी। कालूराम पुत्र रामनारायण द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या एक व दो के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15/7/1993 को तस्दीक कराया गया होना पाया गया तथा वसीयतनामाकर्त्ता कालूराम पुत्र रामनारायण की मृत्यु होने पर वसियतकर्त्ता की उपरोक्त

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

भूमि का नामा. 1245 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 21/8/2008 को स्वीकार किया है।

चूँकि वसीयतकर्त्ता कालूराम पुत्र रामनारायण माली द्वारा दिनांक 15/7/1993 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष वसीयतनामा तस्दीक कराया है जो रजिस्टर्ड है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने वसीयतकर्त्ता कालूराम की मृत्यु होने पर मुताबिक वसियतनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामा.सं. 1245 दिनांक 21/8/2008 को स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वसियत को निरस्त न कर दिया जावे तब तक वसीयत को निरस्त कराये बिना अपीलान्ट की अपील स्वीकार करना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। वैसे भी न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 151/2017 घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती पक्षकारान् के मध्य उक्त आराजीयात् बाबत विचाराधीन है, जिसमें खातेदारी के अधिकार तय होने है। इसलिए उक्त नामा. एक फिसकल प्रोसिडिंग है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया नामा.सं. 1245 वाके ग्राम बडाबास दिनांक 21/8/2008 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

19. निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)